रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 1974/माघ 30, 1895
No. 38] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 1974/MAGHA 30, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE
PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 19th February 1974

SUBJECT.—*Validity of release orders for iron and steel items.*

No. 26-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the former Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 117-ITC(PN)/71 dated the 13th September, 1971, in terms of which release orders for canalised items of iron and steel are to be issued with a validity period of six months only.

2. On a review of the position, it has been decided that in respect of canalised iron and steel items, the licensing authorities will issue release orders with a validity period of twelve months. The actual users should register their requirements with the canalising agency within the validity period. The canalising agencies will not accept release orders for supply of goods, if the release orders are not registered with them within the validity period of twelve months.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1974

विषय.—लोहा तथा इस्पात की मदों के लिए रिहाई आदेश की वैधता ।

सं० 26-आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 117—आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 13 सितम्बर, 1971 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार लोहा तथा इस्पात की सरणीबद्ध मदों के लिए रिहाई आदेश केवल 6 मास की वैधता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं ।

स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि लोहा तथा इस्पात की सरणीबद्ध मदों के सम्बन्ध में लाईसेंस प्राधिकारी, 12 मास की वैधता अवधि के साथ रिहाई आदेश जारी करेंगे । वास्तविक उपयोक्ताओं को चाहिए कि वे अपनी आवश्यकताओं को वैधता अवधि के भीतर ही सरणीबद्ध करने वाले अधिकरण के पास पंजीकृत करा दें । यदि 12 मास की वैधता अवधि के भीतर रिहाई आदेश सरणीबद्ध करने वाले अधिकरण के पास पंजीकृत नहीं करवाए जाते हैं तो वे माल के संभरण के लिए रिहाई आदेशों को स्वीकार नहीं करेंगे ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974